आतंकवाद एक समस्याः भारतीय परिप्रेक्ष्य में (एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण)

डॉ० मीना शुक्ला
एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
समाजशास्त्र विभाग
वी०एम०एल०जी० कॉलेज, गाजियाबाद
ईमेलः shuklameena54@gmail.com

सारांश

आतंकवाद' भारत ही नहीं अपितु विश्व की एक समस्या है। वैश्विक स्तर पर आतंकवाद मानव जाति के लिए एक चुनौती है। आतंकवाद समाज में लोगों को भय दिखाकर और धमकी देकर अथवा हिंसा का प्रयोग करके आतंक व भय का माहौल उत्पन्न करता है। आतंकी हिंसा का मुख्य उद्देश्य एक निश्चित समुदाय की समस्या की तरफ विश्व का ध्यान आकर्षित करना है। प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य 'आतंकवाद' को भारतीय परिप्रेक्ष्य में अवधारणात्मक आधार पर, इसकी स्थिति, कारणात्मक विश्लेषण और उपायों की चर्चा एवं सुझावों को प्रस्तुत करते हुए समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन करना है। आतंकवाद के मुख्य कारणों में राष्ट्रीय स्तर पर देश का विभाजन, विविध धर्म, जाति, क्षेत्र और भाषाई विविध ाता सांस्कृतिक पहचान, निर्धनता, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सामाजिक, आर्थिक दिशा भ्रम तथा अलगाववादी प्रवृत्तियों को जिम्मेदार पाया गया है। आतंकवाद के लिए अन्तर्राष्ट्रीय नेतृत्व व राजनीतिक और धार्मिक चरमपंथी वैश्विक आतंकवाद के कारण हैं। प्रस्तुत पत्र में आतंकवाद के कारणों में निहित उपायों और सुझावों का वर्णन किया गया है।

मुख्य बिन्दु

आतंकवाद, हिंसा, बम्ब विस्फोट, अलगाववाद।

Reference to this paper should be made as follows:

Received: 17.12.2022
Approved: 21.03.2023

डॉ० मीना शुक्ला

आतंकवाद एक समस्याः भारतीय परिप्रेक्ष्य में (एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण)

RJPP Oct.22-Mar.23, Vol. XXI, No. I,

pp.083-089
Article No. 11

Online available at *:*
https://anubooks.com/rjpp-2023-vol-xxi-no-1

वर्तमान समय में आतंकवाद एक राष्ट्र व राज्य तक सीमित नहीं है अपितु यह एक वैश्विक समस्या बन गई है। आतंकवादी समस्त विश्व में राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए सार्वजनिक हिंसा और हत्याओं का सहारा ले रहे हैं। विकसित देशों में आतंकवाद ने और अधिक भयावह रूप ले लिया है। आतंकवादी घटनाएं विकास के साथ और अधिक तेज होती जा रही हैं। आतंकवाद के बीज न केवल प्राचीन भारत वरन मध्यकालीन यूरोप में भी प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप में दिखाई देते ही हैं। भारत के सन्दर्भ में यह माना जाता है कि आचार्य कौटिल्य ने 'अर्थशास्त्र' के संग्रामिक प्रकरण के अनेक अध्यायों में प्रत्यक्ष रूप से आतंकवाद का पोषण किया है। उन्होंने राजा को निरन्तर 'विजिगीशु' रहने का उपदेश दिया है और विजिगीशु राजा को युद्ध में सदैव ही विजय की अभिलाषा रहती है। यदि किसी विजिगीशु राजा की विजय नहीं होती है तो उसे कूटयुद्ध एवं तृष्णी युद्ध का भी उपदेश देने से कौटिल्य ने परहेज नहीं किया है।[1]

पाश्चात्य सन्दर्भ में इटली के प्रख्यात विचारक मेकियावली ने भी अपनी कृतियों में राजा को राज्य की सुरक्षा और विस्तार के लिए नैतिक, अनैतिक कार्य करने, विश्वासघात, नृशंस हत्या करने अथवा किसी भी प्रकार छल–छद्म करने का उपदेश देकर परोक्षतः आतंकवाद का समर्थन व पोषण ही किया है। समाजशास्त्री कार्ल मार्क्स ने भी साम्यवाद की स्थापना के लिए वर्ग संघर्ष में क्रान्ति व हिंसा को ही अनिवार्य बताया।[2]

उपरोक्त उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि आतंकवाद कोई नई अवधारणा नहीं है अपितु विभिन्न समाजों में पहले से ही अस्तित्व में रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिवेशन के समय सदस्य देशों ने आतंकवाद को समाप्त करने के लिए सहमति दी है और 1 मई, 2019 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा पाकिस्तानी चरमपंथी एवं जैश–ए–मौहम्मद के संस्थापक 'मौहम्मद मसूद अजहर अली' को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया। आतंकवाद का अर्थ किसी संगठन द्वारा निर्दोषों की हत्या करना, सामूहिक नरसंहार, विमान अपहरण और लोगों के बीच भय एवं आतंक का माहौल पैदा करना होता है। आतंकवादी हिंसा का मूल उद्‌देश्य एक निश्चित समुदाय की समस्या की तरफ विश्व का ध्यान आकर्षित करना है। आतंकवाद एक ऐसी विचारधारा है जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बल प्रयोग में विश्वास रखती है। ऐसा बल प्रयोग प्रायः विरोधी वर्ग, समुदाय या सम्प्रदाय को भयभीत करने और उस पर अपनी प्रभुता स्थापित करने की दृष्टि से किया जाता है।

वर्ष 2022 से सूचकांक को वार्षिक रूप से अर्थशास्त्र और शांति संस्थान द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार भारत आतंकवाद के मामले में दक्षिण सूडान, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगों और बुर्किना, फासो जैसे संघर्ष ग्रस्त देशों से भी अधिक प्रभावित है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक के अनुसार सबसे अधिक आतंकवाद प्रभावित देशों की श्रेणी में भारत का 12वाँ स्थान रखा गया है, जबकि वर्ष 2000 में भारत 7वें स्थान पर था।[3]

प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य भारत में आतंकवाद जैसी ज्वलनशील समस्या की अवधारणा, स्थिति, कारणात्मक विश्लेषण और आतंकवाद के समाधान पर चर्चा व उपाय प्रस्तुत करना है। अवधारणात्मक आधार पर आतंकवाद का सर्वप्रथम प्रयोग ब्रुशेल्स में दण्ड–विधान को समेकित करने के लिए 1931 में बुलाये गये तृतीय सम्ममेलन में किया गया था। इस आधार पर आतंकवाद का

अभिप्रायः, ''जीवन, भौतिक अखण्डता अथवा मानव स्वास्थ्य को खतरे में डालने वाला या बड़े पैमाने पर सम्पत्ति को हानि पहुँचाने वाला कार्य जान–बूझकर कर भय का वातावरण उत्पन्न करना है।''[4] आतंकवाद का औचित्य समर्थन मुख्यतः तीन आधारों पर अवस्थित है–उपयोगितावादी, सापेक्षवादी और पहचान आधारित तर्क। लॉगमैन ने मॉडर्न डिक्शनरी में आतंकवाद को परिभाषित करते हुए लिखा है कि ''शासन करने या राजनैतिक विरोध प्रकट करने के लिए भय को एक विधि के रूप में उपयोग करने की नीति को प्रेरित करना ही आतंकवाद है।''[5]

भारतीय परिप्रेक्ष्य में आतंकवाद की वैधानिक परिभाषा जो आतंकवाद निरोधक अधिनियम अनुच्छेद 1989 के उप–अनुच्छेद ''क'' के अनुसार–''सरकार अथवा लोगों में वैमनस्य बढ़ाने तथा शांति भंग करने के उद्देश्य से बम्ब विस्फोट, निर्दोषों का खून बहाने, सम्पत्ति नष्ट करने, रसायन व रासायनिक अस्त्र इस्तेमाल करने तथा आवश्यक सेवाओं में गड़बड़ी करने के उद्देश्य से जो कार्य किये जाएं, वह सभी आतंकवादी गतिविधियां हैं।'' अमेरिका के प्रतिरक्षा विभाग के अनुसार, सरकार या समाज के खिलाफ गैरकानूनी बल प्रयोग करना या ऐसा करने की धमकी देना भी आतंकवाद है।[6]

भारतीय स्वतंत्रता और क्रान्तिकारियों के द्वारा अंग्रेजी शासन से मुक्ति पाने हेतु जो तरीके अपनाये गये थे उन्हें भी कुछ भारतीय लेखकों ने आतंकवाद अथवा आतंकवादी का नाम दिया है। यथा उत्तरी भारत के क्रान्तिकारी आतंकवादी 1920 के दशक में अपनी वीरता के लिए लोकप्रिय हो गये थे और आज भी हैं। लेकिन उनकी वीरता की लोकप्रिय छवि ऐसे वीर युवाओं की थी जो अमूर्त अर्थात 'शुद्ध' राष्ट्रीयता की भावना से और अपनी 'मातृभूमि की बलिवेदी पर अपना बलिदान करने की उत्कृष्ट अभिलाषा से ओतप्रोत थे। अन्यत्र लिखा गया है–''उत्तर भारत में 1920 के दशक में हुआ क्रांतिकारी आतंकवादी आन्दोलन अनेक स्थितिजन्य कारणों से उपजा था।'' आन्दोलन हॉर्डिंग पर बम्ब फेंकने का मामला, गदर आन्दोलन मैनपुरी शड्यन्त्र आदि केस। उनके पीछे बंगाल, महाराष्ट्र और यूरोप के आतंकवादी आन्दोलन की भी पृष्ठभूमि थी।[7]

भारत में आतंकवाद की स्थिति के विश्लेषण हेतु भारत में हुए आतंकी हमलों का निम्नलिखित चार्ट के द्वारा आंकलन किया जा सकता है और वैश्विक स्तर पर भी आतंकवाद के सूचकांक से भारत में आतंकवाद की स्थिति को समझा जा सकता है।

भारत में प्रमुख आतंकी हमले

क्र. सं.	वर्ष	हमले का स्थान व घटना
1.	1979	उल्फा आतंक से अलग राज्य असम का गठन
2.	1984	भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या (दिल्ली)
3.	1991	भारतीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की हत्या तमिलनाडू
4.	1993	(i) मुम्बई सीरियल बम्ब विस्फोट (ii) श्रीनगर के हजरत बल दरगाह में आतंकवादी कब्जा
5.	1998	कोयम्बटूर बम्ब विस्फोट
6.	1999	आई सी–814 विमान अपहरण
7.	2001	जम्मू कश्मीर विधानसभा के बाहर विस्फोट
8.	2001	दक्षिण दिल्ली के शॉपिंग कॉम्पलैक्स में विस्फोट
9.	2001	भारतीय संसद पर आतंकी हमला

10.	2002	जम्मू के कालूचक में आतंकी हमला
11.	2002	गुजरात के गांधी नगर अक्षरधाम मन्दिर में हमला
12.	2005	दिल्ली सीरियल बम्ब विस्फोट
13.	2006	मुम्बई रेल बम्ब विस्फोट
14.	2008	मुम्बई ताज होटल आतंकी हमला, लाल किला दिल्ली में हमला
15.	2008	जयपुर, असम, अहमदाबाद आदि बम्ब विस्फोट
16.	2010	पुणे की जर्मनी बेकरी में बम्ब विस्फोट
17.	2013	कश्मीर श्रीनगर में अलग–अलग क्षेत्रों में बम्ब विस्फोट
18.	2014	उड़ी सेक्टर में बम्ब विस्फोट
19.	2019	पुलवामा आतंकी हमला

उपरोक्त तालिका स्पष्ट करती है कि भारत में आतंकी हमले देश की एक अत्यन्त ज्वलंत समस्या बन चुकी है स्पष्ट है कि भारत विश्व के उन दस देशों में शामिल है जो आतंकवाद से प्रभावित है। ये देश इस प्रकार हैं–इराक, अफगानिस्तान, नाइजीरिया, पाकिस्तान, सीरिया, यमन, भारत, सोमालिया, लीबिया और थाइलैंड।[8]

भारत में आतंकवाद की स्थिति का आंकलन वैश्विक आतंकवाद सूचकांक से भी लगाया जा सकता है–

वैश्विक आतंकवाद सूचकांक

वर्ष	स्थान
2014	6
2015	6
2016	8
2017	5
2018	7
2019	8
2020	7
2021	7
2022	12[9]

वैश्विक आतंकवाद की उपरोक्त तालिका स्पष्ट करती है कि वर्ष 2017 में आतंकी घटनाओं से देश अत्यधिक प्रभावित था और वर्ष 2022 में आतंकवाद का ग्राफ उल्लेखनीय रूप से नीचे आया है। और देश के लिए यह अच्छा संकेत है। आतंकवाद के कारणों की चर्चा करना महत्वपूर्ण होगा क्योंकि किसी भी समस्या के मूल में निहित कारणों में ही उसका निराकरण ढूंढा जा सकता है।

देश के राजनीतिक नेतृत्व की कमजोरी, सामाजिक–आर्थिक दिशा भ्रम इस अलगाव को जन्म देती है। अलगाव सामाजिक धरातल पर जातीय, भाषायी विभेद और राजनीतिक धरातल पर महत्वाकांक्षा की अधिकता से जन्म लेते हैं। भारत को आजादी विभाजन के साथ मिली। ये विभाजनकारी या अलगाववादी प्रवृत्तियाँ आजादी से पहले ही जन्म ले चुकी थीं। आजाद भारत में इन प्रवृत्तियों को और अधिक बल मिला। उदाहरणार्थ–कश्मीर में हिंसा, पंजाब में अलगाववादी आन्दोलन,

असम में असमिया राज्य, नागाओं की अलग नागालैंड के लिए आतंकी हिंसा। जो भारतीय प्रजातन्त्र के लिए चुनौतीपूर्ण बने रहे। धर्म की संकीर्णता एक अलग समस्या है। इस अलगाववाद के पीछे भाषा, जाति, धर्म, सांस्कृतिक पहचान तथा आर्थिक विषमता सबसे बड़ा कारण है जिन्होंने भारत की भूमि को आतंकवाद के लिए और अधिक अवसर प्रदान किये। आंकड़े बताते हैं– लीबिया, सूडान, नाइजीरिया, श्रीलंका, ईरान और अफगानिस्तान जैसे राष्ट्रों में आतंकवाद का विस्तार गरीबी के कारण अधिक हुआ है। भारत में भी कश्मीर, असम, त्रिपुरा, नागालैंड और आंध्रप्रदेश में आतंकवाद का सबसे बड़ा कारण लोगों में गरीबी और बेरोजगारी है।

आतंकवाद को कम करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न कठोर कानूनों में फेरबदल के साथ–साथ सुरक्षा व्यवस्था को भी बेहतर करने का कार्य किया गया है। 26/11 के आतंकी हमले में चूँकि समुद्री मार्ग का इस्तेमाल किया गया था जो हमारे देश की समुद्र तट और सुरक्षा सम्बन्धी कमजोरियों को उजागर करता था। इस कमजोरी को दूर करने के लिए उथले पानी की निगरानी के लिए द्वीप क्षेत्रों सहित तटीय राज्यों में गश्ती नौकाओं के साथ 200 से अधिक तटीय पुलिस स्टेशन स्थापित किये हैं। इसके अलावा तटीय मानचित्र, गैर प्रमुख बन्दरगाहों की सुरक्षा को मजबूत करने, तटीय राज्यों द्वारा राज्य समुद्री बोर्डों की स्थापना और मछुवारों के लिए बायोमैट्रिक पहचान पत्र जैसे उपाय भी लागू किये गये हैं। भारतीय तट रक्षक पोतों और विमानों द्वारा नियमित उड़ानों के दौरान 1382 द्वीपों की निगरानी की जाने की व्यवस्था की गई है।[10]

उत्तर आधुनिक समाजशास्त्री ज्यां के अनुसार आतंकवाद जीने का एक तरीका है जो बदला जा सकता है, लेकिन खत्म नहीं हो सकता। चूँकि आतंकवाद की जड़ें कानून में नहीं होतीं, समाज के ताने–बाने में होती हैं अतः आतंकवाद को तब तक समाप्त नहीं किया जा सकता, जब तक समाज की प्रकार्यात्मक संरचना में परिवर्तन न किया जाए अन्यथा आतंकवाद केवल मैनेज ही किया जा सकता है।

आतंकवादी हिंसा का सामना करने के दो प्रमुख मॉडल हो सकते हैं–अमेरिका और इजराइली मॉडल। अमेरिकी मॉडल में आतंकवाद को समाप्त करने के लिए आतंकी समर्थित देश का आर्थिक बहिष्कार करना और इजराइली मॉडल केवल दमन और हिंसा में विश्वास रखता है। यह तथ्य सत्य है कि किसी भी देश में व्याप्त आतंकवाद का सम्बन्ध आन्तरिक कारणों के अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जुड़ा होता है अतः आज आतंकवाद एक साझा समस्या है। इसका समाधान भी वैश्विक स्तर पर सामूहिक प्रयासों से ही हो पायेगा।

आतंकवाद से निपटने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत हैं–

- परिवार, समाज व शैक्षिक संस्थाओं का एक सामूहिक प्रयास हो सकता है कि किसी कुंठित मानसिकता के मर्म को समझें और समस्या का यथोचित निराकरण करें।
- आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में विश्वास का वातावरण उत्पन्न कर लोगों को आतंकवाद के विरुद्ध संगठित किया जाए।
- राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु व्यापक स्तर पर कार्य करने के साथ ही विश्वस्तरीय एक नियमावली का निर्माण किया जाए और आतंकवाद को समर्थित देशों के विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय बहिष्कार की

नीति का पूर्णरूप से पालन कराने की प्रतिबद्धता पर बल दिया जाए। आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने के लिए प्रभावित देशों को दृढ़ संकल्प और प्रतिबद्ध किये जाने की आवश्यकता है।

- विभिन्न राजनैतिक दल अपने व्यक्तिगत हितों व महत्वाकांक्षाओं से ऊपर उठकर आतंकवादी निरोधक कानूनों को अधिक–से–अधिक प्रभावशाली बनाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।
- राष्ट्रीय सुरक्षा गुप्तचर एजेंसी इस प्रकार से गठित की जाएं जिनके पास कार्यवाही शक्तियाँ भी हों।
- प्रशासनिक सेवा के समान ही देश में उच्च स्तर की राष्ट्रीय गुप्तचर सेवाओं की व्यवस्था स्थापित की जाए।
- निर्धनता व बेरोजगारी के कारण युवा आतंकवाद की ओर आकर्षित होते हैं। अतः आवश्यकता है कि अधिक से अधिक शिक्षा व रोजगार देकर युवाओं में चरित्र निर्माण की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जाए।
- देश की जल, थल और वायु सेवाओं को आधुनिक तकनीक व हथियारों से समृद्ध किया जाए।
- साइबर अपराधों को रोकने के लिए नवीन तकनीकियों को अधिक से अधिक प्रभावशाली बनाया जाए।
- आतंकवाद से संघर्ष करने में नागरिकों, समाज और प्रचार माध्यमों की भूमिका महत्वपूर्ण होनी चाहिए।
- आतंकवाद के विरुद्ध ATS, रॉ और राष्ट्रीय जाँच एजेंसीज की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो सकती है।

अन्त में निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि आतंकवादी किसी धर्म, सम्प्रदाय अथवा समुदाय विशेष का नहीं होता अपने घृणित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ये आतंक को माध्यम बनाते हैं। समाज में सुशासन, समन्वित विकास, नागरिकों में जागरूकता, कठोर कानूनी व प्रशासनिक उपायों से आतंकवाद को हराया जा सकता है। निसन्देह ही पिछले कुछ वर्षों से भारत में आतंकवाद में जो कमी देखी गई है उसके लिए सरकारी प्रयास, कठोर कानून, सुरक्षा व्यवस्था, सक्रिय गुप्तचर एजेंसी और देश की दृढ़ निश्चय शक्ति आदि की सम्मिलित भूमिका सराहनीय कही जा सकती है।

संदर्भ

1. सिंह, डा० अजय. (2010). 'आतंकवाद' : एक समेकित विश्लेषण. डा0 वीरेन्द्र सिंह यादव, 'नई सहस्त्राब्दी का आतंकवाद' (सम्पादित). ओमेगा पब्लिकेशन्सः नई दिल्ली. पृष्ठ **3.**
2. वही. पृष्ठ **4.**
3. https://en.wikipedia.org>wiki>GI........
4. राय, डा० आलोक. (2011). 'आतंकवाद की अवधारणा एवं भारत'. डा0 वीरेन्द्र सिंह यादव. 'आतंकवाद का अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य': चुनौतियाँ और समाधान की दिशाएँ (सम्पादित). पृष्ठ **120–121.** ओमेगा पब्लिकेशन्सः नई दिल्ली।

5. जड़िया, डा० सीता. (2012). 'आतंकवाद एवं नक्सलवाद के बढ़ते प्रभाव'. डा0 वीरेन्द्र यादव, 'वैश्विक परिदृश्य में नई सहस्त्राब्दी का भारत'. विमर्श के विविध आयाम (सम्पादित). पृष्ठ 239. ओमेगा पब्लिकेशन्सः नई दिल्ली।
6. शर्मा, विश्वेश. (2012). 'आतंकवाद एवं जनसाझेदारी'. पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो. गृहमन्त्रालयः नई दिल्ली. पृष्ठ 15.
7. चन्द्र, विपन. (1998). 'भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद'. पृष्ठ 197—198. अनामिका पब्लिशर्सः दिल्ली।
8. https://hindi.news/8.com>word
9. (2014—2022). वैश्विक आतंकवाद सूचकांक.
10. रंजन, बी०. (2022). 'तटीय सुरक्षा के बहुमुखीय आयाम (प्रमुख आलेख). योजना. नवम्बर. नई दिल्ली. पृष्ठ 8.